

का०ज्ञा०सं० 11014/18/2004 - रा०भा० (पत्रिका), दिनांक 8.11.2004

विषय: राजभाषा विभाग की पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 16 जून, 1994 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11014/25/93-रा०भा० (पत्रिका) तथा दिनांक 16 अगस्त, 1999 के का०ज्ञा० सं० 11015/32/99-रा०भा० (पत्रिका) में संशोधन करते हुए विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशित रचनाओं यथा लेख, कहानी, कविता और पुस्तक समीक्षा आदि के लिए मानदेय की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

प्रकाशित सामग्री का विवरण	मानदेय की दरें
लेख, कहानी, नाटक, एकांकी	सामान्यतः 1000/- रुपए प्रति लेख, किन्तु आमंत्रित विशिष्ट विशेषांक में प्रकाशित लेख के लिए 2000/- रुपए
कविता	300/- से 600/- रुपए तक
पुस्तक समीक्षा	300/- से 900/- रुपए तक

ये दरें 1 नवंबर, 2004 से प्रभावी होंगी। यह कार्यालय ज्ञापन आंतरिक वित्त प्रभाग (गृह) के डायरी सं० एफ० 2520/एफ०ए० (एच०), दिनांक 20.10.2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है।